मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन (प्रपत्र – 1)

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरे)

1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में) :	छः माह के अन्दर			
	आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :	का खिंचा हुआ			
2.	पिता [] / पति [] का नाम (हिन्दी में) :	रंगीन फोटो			
	पिता [] / पित [] का नाम (अंग्रेजी में)	चिपकाएं			
3.	लिंग : — पुरूष ∕ महिला ∕ ट्रांसजेंडर :— (जो लागू हो (√) का निशान लगाएँ)				
4.	पूरा पता :- ग्राम / मोहल्ला :				
	पंचायत / नगर वार्ड : नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत :				
	थाना : अनुमंडल : प्रखण्ड :				
	जिला :				
5.	कोटि :- अनु॰जाति / जनजाति / पिछड़ी जाति / अति पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक / सामान्य :				
6.	आधार संख्या (अनिवार्य) :				
	(आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)				
7.	सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं० :				
8.	आवेदक का पहचान चिन्ह :				
9.	आधार सीडेड बैंक का विवरण (अनिवार्य) :—				
	(क) बैंक खाता संख्या :				
	(ग) आई०एफ०एस०सी० कोड : 📗 📗 (घ) शाखा का नामः				
10.	आयु (यथा आधार कार्ड में अंकित) :				
11.	में निष्ठापूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि :				
(i)	मेरी आयु 60 वर्ष या उससे अधीक है।				
(ii)	मुझे सरकारी सेवा का पेंशन या पारिवारिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी य	ोजनान्तर्गत पेंशन			
. ,	स्वीकृत नहीं है।				
(iii)	े मैं (नाम) बिहार राज्य का / र्क	ो निवासी हूँ।			
	ामाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई सूचना गलत / झूठा पाया जाय				
	गतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।	VII 1X11 47 V/1			
n J	तिसान कर्म गई सारा संजारन बक्रान कर सर्व पुरुष कर ला जान ।				
	and the state of the form				
आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान					
स्थान :					
तिथि :					
		कृ०पृ०उ०2/			

•	\sim	~ ~	^	•
ਸਹਰਟ	तिकास	पदाधिकारी	क्ता	ाजवाजा
ячы	1447177	4411947181	чл	וואואויוט
* *				

मैंने आवेदन में अंकित विवरणी जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।
के कारण से पेंशन की अनुशंसा नहीं की जाती है।
आवेदन की प्रविष्टि ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी है / कर दी गई है तथा इसका संदर्भ संख्या दिनांक है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर / मुहर
स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश
श्री / श्रीमती

को दिनांक से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की स्वीकृति

अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

दी जाती है।

- अनुलग्नक : 1. विहित प्रपत्र में आवेदन (दो प्रतियों में रंगीन फोटो सहित)।
 - 2. बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) ।
 - 3. आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।
 - 4. आधार के उपयोग एवं बैंक सीडिंग से संबंधित सहमति पत्र।

सहमति पत्र – ।

मैं श्री / श्रीमती	(नाम)
आधार संख्या	एवं मोबाईल संख्या
का धारक सहमत हूँ कि समाज कल्याण विभाग, बिहार	र सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे
आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या का उपयोग सामाजिक	रु सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरी
पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं	I
	हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान
	तिथि :
	नाम :
	पूरा पता :
पहचानकर्ताः —	
हस्ताक्षर :-	
नाम :	
पूरा पता :	

बैंक सेवा में, शाखा प्रबन्धक. बैंक (बैंक का नाम) तिथि :- मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या को आधार संख्या (UIDAI Number) से विषय : जोडने के संबंध में। महाशय, मैं आपके बैंक में (शाखा का नाम का धारक हूँ। मैं अपना आधार संख्या समर्पित करता हूँ, एवं स्वेच्छापूर्वक सहमित देता / देती हूँ कि :--यू०आई०डी०ए०आई०, भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार / यू०आई०डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित उपर्युक्त खाता संख्या के साथ जोडा जाय। इसे एन०पी०सी०आई० (National Payments Corporation of India) में दर्ज किया जाय, ताकि भारत सरकार द्वारा 'प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण' (डी०बी०टी०) योजना के तहत लाभ मेरे उक्त खाता में प्राप्त हो सके। मैं समझता / समझती हूँ कि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हों तो मैं उस लाभ को इसी खाते में प्राप्त करना चाहूँगा / चाहूँगी। य०आई०डी०ए०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित करने में उपयोग किया जाय। मेरे निम्न अंकित मोबाईल संख्या को एस०एम०एस० अलर्ट हेत् उपयोग में लायी जाय। आधार के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है :-आधार / ई०आई०डी० नं० : आधार ग्राही का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) : मैं समझता / समझती हूँ कि आधार संख्या के बार में मेरे द्वारा उपर्युक्त सूचना इसके साथ उलब्ध करायी गयी है, उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायेगा। (खाताधारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान) मोबाईल नं० : ई-- मेल : अनुलग्नक – आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। बैंक प्रयोग के लिए आधार संख्या को बैंक खाता से जोडने की सम्पृष्टि :-्राखा, में संधारित खाता संख्या को आधार संख्या को आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या से जोड दिया गया है। (बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी)

तिथि: -

<u>प्रपत्र – II</u> सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट)

क्र०	सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	 आवेदक द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र (दो प्रतियों में), आवेदन पत्र पर आवेदक का रंगीन फोटो (छः माह के अन्दर का खिंचा हुआ) चिपका होना चाहिए आवेदक का बैंक पासबुक जो अनियार्यतः आवेदक के नाम से हो (संयुक्त खाता मान्य नहीं) की छाया प्रति जिसमें खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० (IFSC) कोड अंकित हो। आवेदक का आधार संख्या की छाया प्रति। आधार संख्या के इस्तेमाल हेतु सहमति पत्र। बैंक खाता का आधार संख्या से सिडिंग हेतु सहमति
		पत्र।